

कार्य स्थगित कर दिया है अतः पूर्व आवेदनानुसार
दिनांक 04/07/22 को सेवा रहे।

04/07/22

प्राप्ति एवं वकील प्राप्ति उप० नहीं / बार-बार
आवाज दिलाई गयी किन्तु कोर्ट उप० नहीं
आया / 1-धुंकिं शवावादी अइम हाजिरी एवं
अइम पैरवी में खारिज हो गया है। ऐसी
स्थिति में प्रार्थनापत्र प्राप्ति खरहीन होने के
कारण खारिज किया जाता है / पूर्व में जारी
T.I. खारिज कि जाती है पत्रावली
शरिखल इफ्तार हो /

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)